

प्रेस नोट दिनांक 05.11.2020

इटावा पुलिस द्वारा चोरी के ट्रैक्टरों को खरीदकर इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर बदलकर फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कराकर बेचने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को चोरी किये हुए 12 ट्रैक्टर (अनुमानित कीमत 55 लाख ₹0) व फर्जी दस्तावेज सहित किया गया गिरफ्तार।

जनपद में चोरी की घटनाओं को रोकने एवं चोरों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओजी इटावा व थाना सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के ट्रैक्टरों को खरीदकर इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर बदलकर फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कराकर बेचने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को चोरी किये हुए 12 ट्रैक्टर व फर्जी दस्तावेज सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04/05.11.2020 की रात्रि को एसओजी इटावा एवं थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा थाना सिविल लाइन क्षेत्र में सदिग्ध वाहन/ व्यक्ति चैकिंग अभियान के दौरान भ्रमणशील रहकर लुहन्ना चौराहे पर चैकिंग की जा रही थी तभी पुलिस टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि चोरी के ट्रैक्टरों का इंजन व चैसिस नम्बर बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर ट्रैक्टरों को बेचने वाले एक गिरोह की जानकारी मिली एवं मुखबिर द्वारा बताया गया कि इसी गैंग के 02 लोग चोरी के ट्रैक्टरों को लेकर कचौराघाट की तरफ से आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा सघनता से चैकिंग की जाने लगी तभी कचौराघाट की ओर से 02 ट्रैक्टर आते हुए दिखाई दिये जिन्हे पुलिस टीम द्वारा घेरकर रोक लिया गया तथा ट्रैक्टर चालकों से ट्रैक्टरों के प्रपत्र तलब किये गये तो चालक प्रपत्र दिखाने में असमर्थ रहे। पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये दोनों ट्रैक्टरों में से एक ट्रैक्टर स्वराज के बारे में मोबाइल एप के माध्यम से जानकारी की गई तो ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन पर मिले चैसिस नम्बर से ट्रैक्टर पर पडा हुआ चैसिस नम्बर भिन्न पाया गया।

पुलिस टीम द्वारा ट्रैक्टर चालकों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो एक ट्रैक्टर चालक जयकिशन द्वारा बताया गया कि यह दोनो ट्रैक्टर चोरी के हैं जिन्हे हम मेरी (जयकिशन) की ट्रैक्टर एजेन्सी पर लेकर जा रहे हैं। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग चोरी के ट्रैक्टर खरीद कर अपनी एजेन्सी पर उनके इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर बदलकर तथा आरटीओ में दलालो के माध्यम से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार कराकर उचित दाम मिलने पर बेच देते हैं तथा ट्रैक्टर बेचकर मिलने वाले रूपयों को आपस में बांट लेते हैं। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की निशानदेही पर उनकी ट्रैक्टर एजेन्सी में खडे चोरी के ट्रैक्टरों की निगरानी कर रहे 01 अभियुक्त को अन्य 10 ट्रैक्टरों सहित गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से की गई पूछताछ में आरटीओ के प्रमुख दलाल प्रदीप गुप्ता उर्फ गुड्डा एवं अन्य दलाल तथा आरटीओ के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों का नाम भी प्रकाश में आया है जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 421/20 धारा 411, 414, 420, 467, 468, 471, 34, 120 बी भादवि अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जयकिशन गुप्ता पुत्र स्व0 मैकूलाल निवासी पक्काबाग सराय अर्जुन नगर थाना फ्रेंड्स कालोनी।
2. बबलू चौबे पुत्र विशम्बरनाथ निवासी विकास कालोनी पक्काबाग थाना फ्रेंड्स कालोनी इटावा।
3. आशीष गुप्ता पुत्र जयकिशन गुप्ता निवासी पक्काबाग सराय अर्जुन नगर थाना फ्रेंड्स कालोनी।

बरामदगी-

1. 03 ट्रैक्टर स्वराज, 01 ट्रैक्टर महिन्द्रा, 02 ट्रैक्टर एस्कोर्ट 335, 01 ट्रैक्टर मैसी डीआई 5245, 01 ट्रैक्टर मैसी 241 डीआई, 02 ट्रैक्टर सोनालिका डीआई, 01 ट्रैक्टर फोर्ड 3600, 01 ट्रैक्टर पावरट्रेक 439
2. 01 कूटरचित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

पुलिस टीम- प्रथम टीम- उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह यादव प्रभारी एसओजी व उ0नि0 श्री बीके सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम।

द्वितीय टीम- उ0नि0 श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह थानाध्यक्ष सिविल लाइन इटावा मय टीम।

नोट- उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25000 ₹0 के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा